Form No. III

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ईश्वर बनाम गिर्राज प्रसाद्व वगैरा0

तारीख हुक्म	हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज प्रार्थना पत्र–212 संख्या 02/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
28.09.2020	आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। वकील वादी को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनाता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है। अतःअप्रार्थीगण को आगामी दिनांक 15.12.2020 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 839 रकबा 0.53 हैक्टयर 841 रकबा 0.13 हैक्टर 857 रकबा 0.15 हैक्टयर वाके तिजारा की भूमि पर अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त मे किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा ना कर एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। क्यों ना उक्त आज्ञा ताफैसला Absolute कर दिया जावे? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थी वास्ते तलबी अप्रार्थी के नोटिस तलबाने जारी करा पोस्ट ऑफिस रसीद पेश करे। पत्रावली वाद के साथ पेश हो। 28/09/20 उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर)	

25/03/21 आज पत्रावली कोविड-19 व लाकडाउन आपदा के कारण पेश हुई अदालत कार्यवाही नहीं हो सकी अतः पत्रावली मूलवाद के साथ दिनांक 08/06/21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

08/06/21 आज पत्रावली पेश हुई प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित प्रा० पत्र से सम्बन्धित मूलवाद खारिज हो गया है अतः प्रा० पत्र खारिज किया जाकर, पूर्व में पारित निषेधाज्ञा आदेश खारिज किया जाकर. पत्रावली बाद निर्णय शामिल मूलवाद हो।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

उपरोक्त काबिज व दाखिल है तथा ...

जमाबन्दी हिस्सा काबिज व दाखिल है। प्रतिवादीगण का उक्त विवादित